न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 391/2022

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. हीराराम पुत्र नगाराम 2. हरीराम पुत्र नगाराम 3. कनकोदवी पत्नी नगाराम 4. आदाराम पुत्र मोडाराम 5. ओखाराम पुत्र हमीराराम 6. कृष्णराम पुत्र मोडाराम जातियान कलबी निवासी– मामा का धोरा ग्राम पंचायत भवन के पास, हाजाणियों की ढाणी तहसील गुडा मालानी, बाडमेर।		1. मगाराम पुत्र भावाराम कलबी निवासी– हाजाणियों की ढाणी तहसील गुडामालानी, बाडमेर। 2. तहसीलदार गुडामालानी, बाडमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 28.02.2022 जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी, बाडमेर के द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 164/2021 अनवान मगाराम बनाम आदाराम वगैराह में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री तेजाराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलांटस की ओर से ।
2– श्री सुखदेव पटेल, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से।
3– श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 26 दिसम्बर, 2022

अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट का इस आशय का अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया कि उनकी खातेदारी व कब्जा काश्तसुदा भूमि खेत खसरा न0 463 रकबा 4.9453 हैक्टर ग्राम हाजाणियों की ढाणी में आयी हुयी है जिसमें प्रार्थी के बाडे, टांके इत्यादि बने हुए है। उक्त भूमि के सेढासेढ ही अपीलार्थीगण की खातेदारी भूमि आई हुई है, प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के खेतों के बीच में किसी प्रकार की पक्की माठे तथा सीमाचिन्ह नहीं होने के कारण काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय खेतों के सेढों के सम्बन्ध में तनाव व विवाद बना रहता है तथा अप्रार्थीगण हमेशा प्रार्थी की भूमि का सेढा तोडकर जबरन काश्त कर लेता है तथा बाधा उत्पन्न करते है जिससे झगडे की आशंका बनी रहती है। इस कारण से उक्त खातेदारी की भूमि की पत्थगढी करने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। रेस्पो0 के प्रार्थना पत्र को अधिनस्थ न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर कर अपीलार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण के नोटिस बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी/रेस्पो0 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए तहसीलदार गुडामालानी को पक्षकारान की उपस्थिति में उपरोक्त खसरा संख्या 463 रकबा 4.9453 हैक्टर का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करने के आदेश दिनांक 28.02.2022 को पारित किये गये। उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.2022

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त

से व्यथित होकर यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 111 व 128 के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए आदेश पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थीगण को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया तमाम कार्यवाही जल्दबाजी में पक्षकारान को बिना सुने की है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त करने योग्य है। इसके अतिरिक्त बिना पैमाइश रिपोर्ट के किसी प्रकार का पत्थरगढी का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में पैमाइश रिपोर्ट प्रार्थना पत्र पेश करने के दिन पत्रावली पर नहीं थी। ऐसे में अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त करने योग्य है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थीगण को सुनवाई का कोई नोटिस दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसकी जानकारी पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 25.6.22 को मौके पर आने आकर कहा कि भूमि की पैमाइश व पत्थरगढी की जायेगी तब अपीलार्थीगण के द्वारा विरोध किया तथा दिनांक 27.6.22 को उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.2.2022 की जानकारी कर दिनांक 30.6.22 को प्रमाणित प्रति प्राप्त की तत्पश्चात यह अपील पेश की गई है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कन्डोन कर अपील अन्दर म्याद शुमार की जावें।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलार्थीगण व रेस्पोडेन्ट के खेत की मध्य सीमा रेखा पर पुरानी माठ बनी हुई है और उक्त सीमा को लेकर दोनों के बीच आज दिन तक किसी प्रकार का विवाद पैदा नहीं हुआ है लेकिन अपीलाधीन आदेश की आड में अपीलार्थी के खातेदारी की भूमि की सीमाओं को बदलने का तथा पत्थरगढी की आड में अपीलार्थी की भूमि में घुसकर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। अपीलार्थीगण के खातेदारी के ख0सं0 462 व 464 स्थित है तथा इनके मध्य ख0सं0 463 आया हुआ जिनके खातेदारान को बिना नोटिस दिये व अविभाजित पैमाइश रिपोर्ट के बिना ही पत्थरगढी का आदेश दे दिया जो न्यायोचित नहीं है। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में अपीलार्थी की खातेदारी भूमि पर सर्दी के समय बोई जाने वाली सिंचित काश्त की हुई है व फसल मौके पर खडी है यदि अपीलाधीन आदेश की आड में पत्थरगढी कर दी जाती है तो अपीलार्थी की फसल नष्ट हो जावेगी। अधिनस्थ न्यायालय में कुल 26 व्यक्तियों को पक्षकार बनाया है। जिसमें से सिर्फ अपीलार्थीगण ही अपील पेश कर रहे है शेष के विरूद्ध कोई इस्तदुआ नहीं चाही है। अतः उपरोक्त आधारों पर अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.2022 को अपास्त करने का आदेश फरमावें।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 1 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि रेस्पो. सं. 1 के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट के तहत अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि उनकी खातेदारी की भूमि खेत ख0न0 463 रकबा 4.9453 हैक्टर ग्राम हाजाणियों की ढाणी जिसमें प्रार्थी के बाडे, टांके इत्यादि बने हुए है।

उक्त भूमि के सेढासेढ ही अपीलार्थीगण की खातेदारी भूमि आई हुई है, प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के खेतों के बीच में पक्की माठे तथा सीमाचिन्ह नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण हमेशा रेस्पो0 संख्या एक की भूमि का सेढा तोडकर जबरन काश्त कर लेते है तथा बाधा उत्पन्न करते है जिससे झगडे की आशंका बनी रहती है। इस कारण से उक्त खातेदारी की भूमि की पत्थगढी करने हेतु आदेश प्रदान किया जावे। जिस पर रेस्पो0 के प्रार्थना पत्र को अधिनस्थ न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थना पत्र में अंकित अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये परन्तु अप्रार्थीगण के नोटिस तामील कर लेने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए रेस्पो0 संख्या एक के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए तहसीलदार गुडामालानी को पक्षकारान की उपस्थिति में उपरोक्त खसरा संख्या 463 रकबा 4.9453 हैक्टर का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करने के आदेश दिनांक 28.02.2022 को पारित किये गये जो विधि अनुकूल उचित होने से बहाल रखे जाने योग्य है। रेस्पो0 संख्या एक अपनी खातेदारी की खसरान भूमि की सीमाओं के अनुसार मौके पर खेतों की सीमाओं की सुरक्षा हेतु पत्थरगढी करवाने के अधिकारी है और उसके अनुसार ही प्रार्थना पत्र पेश किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो न्यायोचित होने से यथावत रखा जावे एवं अपीलान्ट की अप्रील अस्वीकार की जावें।

हमने उपस्थित पक्षकारान के अधिवक्ताओं की गई बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलांधीन आदेश दिनांक आदेश दिनांक 28.02.2022 इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिससे यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए ख0सं0 463 रकबा 4.9453 हैक्टर भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढी हेतु आदेश पारित किया है जिसके कम में प्रकरण तहसीलदार को रिमाण्ड किया जाना उचित रहेगा।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन व विश्लेषण के मध्यनजर अपीलान्टस की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी के द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.2022 में आंशिक संशोधन करते हुए तहसीलदार गुडामालानी को निर्देशित किया जाता है कि वे सर्वप्रथम उभय पक्षकारान को विधिवत सूचित करे एवं उभय पक्षकारान की उपस्थिति में सेटलमेन्ट के पुख्ता बिन्दुओं से सीमाज्ञान की कार्यवाही अमल में लाई जावे, तत्पश्चात विधिवत पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पादित की जावें। निर्णय आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर